# कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा केन्द्र) जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

## आदेश

क्रमांक 20780/चिप्स/2016 दुर्ग, दिनांक 19/12/2016

छत्तीसगढ़ नागरिग सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम-2003 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के नियम-2 खण्ड क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार आदेशों की कंडिकाओं को संशोधित किया जाता है :-

1- आदेश क्रमांक 823/सीए/एसआईटी/2003/चॉईस, रायपुर 19 अगस्त 2003 द्वारा सेवा प्रभार में संशोधन किया जाकर चॉइस केन्द्र/लोक सेवा केन्द्र/ग्रामीण लोक सेवा केन्द्र (सामान्य सेवा केन्द्र) को उनके द्वारा दी गयी सेवाओं के एवज में निम्नलिखित तालिका में इंगित राशियॉ "सेवा प्रभार" के रुप में देय होगी ।

| क्रं. | अधिसूचना नागरिक सेवा अथवा अधिसूचित नागरिक सेवाओं की श्रेणी | प्रस्तावित सेवा प्रभार |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | आवेदन सामान्यतः (निम्न उल्लेखित को छोड़कर) | आवेदन के समय रुपये 30/-(रुपये तीस मात्र) तथा समुचित वांछित दस्तावेज प्राप्त करते समय रुपये 05/-(अक्षरी रुपये पांच) प्रति पेज |
| 2 | आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज की स्कैनिंग एवं कम्प्रेसिंग | आवेदन पत्र में पांच दस्तावेज संलग्न करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नही लिया जाना प्रस्तावित है । पांच दस्तावेज के अतिरिक्त दस्तावेज होने की दशा में स्कैनिंग एवं कम्प्रेसिंग के लिए रुपये 05/-(अक्षरी पांच रुपये) प्रति दस्तावेज (एक पेज) देय होगा । |

2- आदेश क्रं. 823/सीए/एसआईटी/2003/चॉइस, रायपुर 19 अगस्त 2003 की कंडिका 4 (4,1, 4.2, 4.3, एवं 4.4) को संशोधित किया जाकर 90% राशि चॉईस एजेंट्स को सेवा प्रभार के रुप में एवं शेष 10% राशि संबंधित जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को देय होगी ।

उपरोक्तानुसार समस्त चॉईस केन्द्र/लोक सेवा केन्द्र/ग्रामीण लोक सेवा केन्द्र (सामान्य सेवा केन्द्र) में शासन के निर्देशानुसार, कंडिका-1 में निर्धारित शुल्क लिया जाना एवं समस्त केन्द्रों के सामने निर्धारित शुल्क चस्पा करना सुनिश्चित करें ।

16/12/16
कलेक्टर
दुर्ग

पृ.क्रमांक 20789 /चिप्स/2016 दुर्ग, दिनांक 19 /12/2016

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (चिप्स) रायपुर को सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को सूचनार्थ ।
3. ए.डी.एम.(चिप्स) जिला दुर्ग को सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, नगर निगम, दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरौदा जिला दुर्ग को सूचनार्थ ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (सर्व) जिला दुर्ग को सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार (सर्व) जिला दुर्ग को सूचनार्थ ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (सर्व) जिला दुर्ग को सूचनार्थ ।
8. नगर पालिका अधिकारी (सर्व) जिला दुर्ग को सूचनार्थ ।
9. समस्त चॉईस एजेन्ट/लोक सेवा केन्द्र/ग्रामीण लोक सेवा केन्द्र (सामान्य सेवा केन्द्र) को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को जिले की वेबसाईट में upload करने हेतु सूचनार्थ ।

कलेक्टर
दुर्ग

571